

प्राथमिक पर्चा-डिक्री

राजस्व लोक अदालत (न्याय आपके द्वार -2018) कैम्प कोर्ट- थालडका
न्यायालय उपखण्डाधिकारी (राजस्व), नोहर (हनुमानगढ)
पीठासीन अधिकारी का नाम : श्री सैयद शीराज अली जैदी (आर0ए0एस0)
वाद पत्र सं0 : 224 सन 2012

अनवान :-

1. गिरधारी पुत्र पूर्णराम जाति सुनार निवासी टोपरिया तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
वादी

बनाम

1. सीतादेवी बेवा पूर्णराम जाति सुनार निवासी टोपरिया तहसील नोहर।
2. देवकरण 3 बाबूलाल 4 बेगाराम 5 भानीराम 6 कृष्ण पि0 पूर्णराम जाति सुनार निवासी टोपरिया तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
7. आईदान उर्फ दानाराम 8 राजेन्द्र कुमार 9 लिलूराम पि0 ठाकरूराम जाति सुनार निवासी टोपरिया तहसील नोहर।
- 10 रोशनी पत्नी बेगराज जाति सुनार निवासी टोपरिया तहसील नोहर।
11. शान्ति पुत्री पूर्णराम जाति सुनार निवासी टोपरिया तहसील नोहर।
12. सतपाल वल्द भूराराम जाति सुनार निवासी टोपरिया तहसील नोहर।
13. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर।
- 14 मैनेजर एम.जी.बी.बैंक टोपरिया तहसील नोहर।
15. मैनेजर हनुमान सहकारी भूमि विकास बैंक नोहर।

प्रतिवादीगण

राजस्व वाद संख्या 224 सन 2012 निर्णय दिनांक 15.05.2018

वाद अन्तर्गत धारा 53, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

आज यह वाद मुझ सैयद शीराज अली जैदी आर0ए0एस0 उपखण्डाधिकारी, नोहर के समक्ष अभिभाषक वादी / अधिवक्ता प्रतिवादी व परोकार राज की उपस्थिति में निर्णायार्थ प्रस्तुत होने पर वाद वादी प्राथमिक डिक्री किया जाकर तहसीलदार नोहर को मौका कमीश्नर नियुक्त किया जाता है कि रोही मौजा चक 20 आरडब्ल्यूडी के खाता संख्या 59/51 की कुल 6.5780हैक् चक 18 आरडब्ल्यूडी के खाता संख्या 58/54 की 2.6811हैक् व चक 18 आरडब्ल्यूडी के खाता संख्या 59/55 की 0.7340हैक् व रोही मौजा टोपरिया बरानी के खाता संख्या 209/198 की 2.7830हैक् भूमि में जमाबन्दी में दर्ज वादी /प्रतिवादीगण के हक हिस्सा मुताबिक किस्म भूमि /कब्जा काश्त के अनुसार अच्छी में से अच्छी व माडी में से माडी एवं कब्जा काश्त के अनुसार राजस्व मण्डल के नियम 18 से 21 की पालना करते हुए तजबीज तकसीम की रिपोर्ट तैयार कर प्रस्तुत करे तथा मौका कमीश्नर फीस 1000/- तय की जाती है जो वादी के द्वारा तय की जावेगी। इसी अनुसार पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई। व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे।

निर्णय आज दिनांक 15.05.2018 को मेरे द्वारा राजस्व लोक अदालत " न्याय आपके द्वार - 2018 में लिखाया जाकर मजमें आम में सुनाया गया।

S. J. Jaidi
शिविर प्रभारी

राजस्व लोक दालत-2018
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)
कैम्प कोट-थालडका

प्राथमिक पर्चा-डिक्री

राजस्व लोक अदालत (न्याय आपके द्वार -2018) कैम्प कोर्ट- थालडका
न्यायालय उपखण्डाधिकारी (राजस्व), नोहर (हनुमानगढ)
पीठासीन अधिकारी का नाम : श्री सैयद शीराज अली जैदी (आर0ए0एस0)
वाद पत्र सं0 : 224 सन 2012
अनवान :-

1. गिरधारी पुत्र पूर्णराम जाति सुनार निवासी टोपरिया तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
वादी

बनाम

1. सीतादेवी बेवा पूर्णराम जाति सुनार निवासी टोपरिया तहसील नोहर ।
2. देवकरण 3 बाबूलाल 4 बेगाराम 5 भानीराम 6 कृष्ण पि0 पूर्णराम जाति सुनार निवासी टोपरिया तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
7. आईदान उर्फ दानाराम 8 राजेन्द्र कुमार 9 लिलूराम पि0 ठाकरूराम जाति सुनार निवासी टोपरिया तहसील नोहर।
10. रोशनी पत्नी बेगराज जाति सुनार निवासी टोपरिया तहसील नोहर।
11. शान्ति पुत्री पूर्णराम जाति सुनार निवासी टोपरिया तहसील नोहर।
12. सतपाल वल्द भूराराम जाति सुनार निवासी टोपरिया तहसील नोहर।
13. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर।
14. मैनेजर एम.जी.बी.बैंक टोपरिया तहसील नोहर।
15. मैनेजर हनुमान सहकारी भूमि विकास बैंक नोहर।

प्रतिवादीगण

राजस्व वाद संख्या 224 सन 2012 निर्णय दिनांक 15.05.2018

वाद अन्तर्गत धारा 53, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

आज यह वाद मुझ सैयद शीराज अली जैदी आर0ए0एस0 उपखण्डाधिकारी, नोहर के समक्ष अभिभाषक वादी / अधिवक्ता प्रतिवादी व परोकार राज की उपस्थिति में निर्णायार्थ प्रस्तुत होने पर वाद वादी प्राथमिक डिक्री किया जाकर तहसीलदार नोहर को मौका कमीश्नर नियुक्त किया जाता है कि रोही मौजा चक 20 आरडब्ल्यूडी के खाता संख्या 59/51 की कुल 6.5780हैक् चक 18 आरडब्ल्यूडी के खाता संख्या 58/54 की 2.6811हैक् व चक 18 आरडब्ल्यूडी के खाता संख्या 59/55 की 0.7340हैक् व रोही मौजा टोपरिया बारानी के खाता संख्या 209/198 की 2.7830हैक् भूमि में जमाबन्दी में दर्ज वादी /प्रतिवादीगण के हक हिस्सा मुताबिक किस्म भूमि / कब्जा काश्त के अनुसार अच्छी में से अच्छी व माडी में से माडी एवं कब्जा काश्त के अनुसार राजस्व मण्डल के नियम 18 से 21 की पालना करते हुए तजबीज तकसीम की रिपोर्ट तैयार कर प्रस्तुत करे तथा मौका कमीश्नर फीस 1000/- तय की जाती है जो वादी के द्वारा तय की जावेगी। इसी अनुसार पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई। व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे ।

निर्णय आज दिनांक 15.05.2018 को मेरे द्वारा राजस्व लोक अदालत " न्याय आपके द्वार - 2018 में लिखाया जाकर मजमें आम में सुनाया गया ।


शिवर प्रभस

राजस्व लोक दालत-2018
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)
कैम्प कोट-थालडका